न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 22/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022/54

वादी बनाम प्रतिवादी

गफुरखां पुत्र रखीयेखां
जाति सिंधी मुसलमान
निवासी मेघावास तहसील पचपदरा
जिला बालोतरा

1.रामत बेवा गनीखां
2.सदीकखां पुत्र रखीयेखां
3.सरदारखां पुत्र रखीयेखां
जाति सिंधी मुसलमान
निवासी मेघावास तहसील पचपदरा
जिला बालोतरा
4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री मुनीर अली पठान अधिवक्ता वादी

2. प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक— 27/10/2025

(मोहर: सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा)

संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा मेघावास पटवार क्षेत्र बाणियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 97 रकबा 44 बीघा,खसरा संख्या 107 रकबा 02 विस्वा व खसरा संख्या 108 रकबा 11.17 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 21.7.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मेघावास पटवार क्षेत्र बाणियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 97 रकबा 44 बीघा,खसरा संख्या 107 रकबा 02 विस्वा व खसरा संख्या 108 रकबा 11.17 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 22/2022
गफूर खां रामत खां वगैरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	गफुरखां पुत्र रखीयेखां जाति सिंधि मुसलमान सा.देह खातेदार। रहन–जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बागावास।	मेघावास	97 107 108	1.7806 0.0162 0.4674	बा.दो. गै.मु. बा.दो.	1.98 – 0.52	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	रामत पत्नी स्व. गनीखां जाति सिंधि मुसलमान सा. देह खातेदार।	मेघावास	97 108	1.7807 0.4836	बा.दो. बा.दो.	1.98 0.53	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	सदीकखां पुत्र रखीयेखा जाति सिंधि मुसलमान सा. देह खातेदार।	मेघावास	97 108	1.7806 0.4836	बा.दो. बा.दो.	1.98 0.54	नक्शे मे दर्शितानुसार
4	सरदारखां पुत्र रखीयेखा जाति सिंधि मुसलमान सा. देह खातेदार।	मेघावास	97 108	1.7806 0.4836	बा.दो. बा.दो.	1.97 0.54	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री प्रर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

27/10/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

27/10/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 22/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/54

वादी	बनाम	प्रतिवादी
गफुरखां पुत्र रखीयेखां जाति सिंधी मुसलमान निवासी मेघावास तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.रामत बेवा गनीखां 2.सदीकखां पुत्र रखीयेखां 3.सरदारखां पुत्र रखीयेखां जाति सिंधी मुसलमान निवासी मेघावास तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः–53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 22/2022

निर्णय दिनांक :–27.10.2025

वादी की ओर से श्री मुनीर अली पठान अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः–वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा — मुद्रा)

27/10/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	————
4...........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	————	5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	———	जोड़	————

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

27/10/20

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा